मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर
(सी–2 साउथ सिविल लाइन्स)
कमांक फा.नं.34/स्था./राविसेप्रा/1876/2016 दिनांक 24/10/2016

चतुर्थ श्रेणी पदों पर भरती हेतु विज्ञप्ति

आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि– 30/11/2016

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में भृत्य/फर्राश/वाटरमेन के कुल 66 नियमित रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु वेतनमान 4440–7440 एवं ग्रेड पे–1300/ में इच्छुक उम्मीदवारों के निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। नियत प्रारूप में आवेदन पत्र वांछित सहपत्रों सहित जिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करना चाहते है वहा प्रेषित/प्रस्तुत कर सकते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। रिक्त पद एवं स्थान का विवरण निम्नानुसार है :–

1- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय जबलपुर में रिक्त फर्राश/वाटरमेन के पद संख्या:–

क.	पद नाम एवं संख्या	अनारक्षित वर्ग				अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			योग
		पु0	म0	भू.से	विक.	पु0	म0	भू.से	पु0	म0	भू.से	पु0	म0	भू.से	
1	फर्राश के 3 पद	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
2	वाटरमेंन के 3 पद	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
	योग	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	6

(आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बैवसाईट www.mpslsa.nic.in में उपलब्ध है)

2- जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए भृत्यों के रिक्त पद संख्या एवं स्थान विवरण

क.	जिला	अनारक्षित वर्ग				अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			योग
		पु0	म0	भू.से	विक.	पु0	म0	भू.से	पु0	म0	भू.से	पु0	म0	भू.से	
1	अलीराजपुर	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
2	अनूपपुर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	अशोकनगर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	बडवानी	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
5	बालाघाट	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
6	बैतूल	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	भिण्ड	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	भोपाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9	बुरहानपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	छतरपुर	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	छिन्दवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	दमोह	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	दतिया	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	देवास	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
15	धार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
16	डिण्डौरी	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
17	गुना	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	ग्वालियर	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
19	हरदा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	होशंगाबाद	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21	इन्दौर	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
22	जबलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	झाबुआ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
24	कटनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	खण्डवा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
26	मण्डलेश्वर	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
27	मण्डला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	मंदसौर	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
29	मुरैना	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
30	नरसिंहपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	नीमच	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
32	पन्ना	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
33	रायसेन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34	राजगढ़	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
35	रतलाम	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36	रीवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
37	सागर	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38	सतना	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
39	सिहोर	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40	सिवनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	शहडोल	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
42	शाजापुर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
43	श्योपुर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
44	शिवपुरी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45	सीधी	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46	सिंगरौली	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
47	टीकमगढ़	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
48	उज्जैन	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
49	उमरिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
50	विदिशा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	योग	15	8	6	1	5	3	2	6	4	2	5	2	1	60

1. (अ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल म.प्र. के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के मूल निवासियों के लिये आरक्षित है ।

(ब) अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का लाभ उन्ही अभ्यार्थी को प्राप्त होगा "जो कीमिलेयर के अन्तर्गत नही आते हैं ।

दो– पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–

अभ्यर्थी को पूर्व माध्यमिक परीक्षा (कक्षा आठवीं) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

तीन– आयु सीमा :–

(1) अभ्यर्थी की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

उच्चतम आयु सीमा में छूट –

(2) मध्यप्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार जो कि मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य की गई अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं ऐसे आवेदकों के लिये उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी ।

(3) महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिये उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

(4) महिला आवेदक आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिये उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी ।

(5) विधवा परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) के लिये उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

(6) विधवा परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

(7) विकलांग आवेदक (अनारक्षित वर्ग) के लिये उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

(8) अस्थिबाधित विकलांग आवेदक (आरक्षित वर्ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जानजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी ।

टीप :– उच्चतम आयु सीमा में उपरोक्त छूट का लाभ आवेदक द्वारा तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा ।

(9) अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है ।

(10) दिनांक – **30 नवम्बर 2016** को कार्यालयीन समय पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

चार :–

1– चयन प्रकृया/ साक्षात्कार सभी जिलों में एक ही दिनांक को आयोजित की जावेगी।

2– चयनित आवेदक की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी।

3– चयनित आवेदकों की नियुक्ति एक माह का नोटिस देकर किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त की जा सकेगी ।

4– चयनित उम्मीदवार को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ्य होने के संबंध में जारी प्रमाण पत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्रस्तुत करना होगा।

पांच :–आवेदन पत्र भरने के संबंध में सामान्य निर्देश :–

1— आवेदक विज्ञापन के साथ दिये गये आवेदन पत्र के विहित प्रारूप में ही आवेदन करें, अन्य किसी प्रारूप पर प्रस्तुत किये गये आवेदन अमान्य होगें।

2— आवेदन पत्र पूर्ण व सुस्पष्ट भरा होना चाहिए ।

3— विहित प्रारूप में कोई भी कण्डिका रिक्त न छोड़े, अधूरा भरा हुआ आवेदन पत्र अमान्य /अस्वीकार किया जावेगा।

4— घोषणा पत्र पर पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने चाहिये अन्यथा आवेदन पत्र अमान्य /अस्वीकार किया जावेगा।

5— सामने से खीचा हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो निर्धारित स्थान पर ठीक तरह से चिपकायें ।

6— जन्म तिथि अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में ही अर्थात 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 में ही अंकित की जाये।

7— आवेदन पत्र में जो लागू न हो उस कालम में गलत का चिन्ह लगायें।

छः :— **आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियॉं संलग्न करें :—**

1— संभागीय पूर्व माध्यमिक परीक्षा (कक्षा आठवी) उत्तीर्ण की अंकसूची ।

2— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र, जो अनुविभागीय अधिकारी अथवा उससे उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

3— विकलांगता प्रमाण पत्र जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो ।

4— रोजगार कार्यालय में अभ्यार्थी का पंजीयन कार्ड का जीवित पंजीयन कार्ड की छायाप्रति यदि हो तो।

5— स्वयं का पता लिखा एक रजिस्ट्रर्ड लिफाफा जिसमें पर्याप्त डाक टिकिट चिपका कर आवेदन के साथ संलग्न करें पर्याप्त डाक टिकट के अभाव में आवेदन पत्र अमान्य/अस्वीकार की जावेगी।

सात :—अन्य निर्देश/जानकारी :—

1— अर्हता से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

2— साक्षात्कार की तिथि, स्थान व समय अभ्यार्थी को पृथक से सूचित किया जायेगा।

3— चयन प्रकिया पूर्णतः निःशुल्क है।

4— जिनकी दो से अधिक सन्तान हो, जिसमें से एक का जन्म 26/01/2001 को अथवा उसके पश्चात हुआ हो, वे व्यक्ति आवेदन न करें।

5— म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र न हो।

6— साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के अभ्यार्थी को किसी भी तरह का यात्रा भत्ता व आहार व्यय देय नही होगा।

20/6/16

(दिनेश कुमार नायक)
सदस्य सचिव